भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 223

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

†223. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का अत्याचार के मामलों से संबंधित कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्यों से विचार लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक प्राप्त प्रतिक्रिया और उन पर क्या विचार किया गया है; और

(घ) संशोधनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किशन रेड्डी)

(क) और (घ): दांडिक कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है, जो स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित है। तदनुसार, राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरो के विचार मांगे गए हैं। प्राप्त सुझाव सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय की जांच के अधीन हैं।